प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया :19.09.2025

आदेश पारित किया गयाः17.10.2025

रिट याचिका सेवा सं 4316/2023

1 – नीलकंठ कुमार साहू पिता श्री परदेशी राम साहू, 28 वर्ष , निवासी –गाँव भाईसतारा, पोस्ट बेलतुकरी, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद (सी. जी.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा, रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

2 – अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा, रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)।

3 – छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के द्वारा , अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

--उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु :--श्री घनश्याम कश्यप, अधिवक्ता

राज्य हेतु :--श्री देवेश जी. केला, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी सं 3 हेतु :--श्री आनंद मोहन तिवारी, अधिवक्ता

(माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश)

सी. ए. वी. आदेश

1. याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) द्वारा खेल अधिकारी के पद के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया, जिसका विज्ञापन 06.03.2019 को प्रकाशित किया गया था। याचिकाकर्ता ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और

18.09.2020 को प्रकाशित अंतिम परिणाम के अनुसार ओबीसी प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 1 पर रखा गया था। ओबीसी श्रेणी से चयनित उम्मीदवारों में से एक, अमित वर्मा (चयन सूची में क्रमांक 17), ने पदभार ग्रहण करने से पहले 27.12.2021 को देहांत हो गया था।बार–बार अभ्यावेदन देने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र (विभाग को 05.12.2022 को प्राप्त) सहित संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद, मृतक उम्मीदवार के स्थान पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति के मामले पर समय पर कार्यवाही नहीं की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग ने मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने और पुलिस सत्यापन में हुई प्रक्रियात्मक देरी और विशेष परिस्थितियों का उल्लेख देते हुए, सीजीपीएससी से 17.09.2022 को समाप्त होने वाली प्रतीक्षा सूची की वैधता को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था।हालांकि, सीजीपीएससी ने दिनांक 17.02.2023 के पत्र के माध्यम से समय विस्तार के अनुरोध को अस्वीकार किया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के भीतर (जिसमें 06.01.2022, 04.03.2022 और 18.05.2022 को भी शामिल हैं) अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद उत्तरवादी अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण विलंब हुआ.याचिका में प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि यह अवसर पूरी तरह से प्रतिवादियों की प्रशासनिक देरी और लापरवाही के कारण खो गया था।अतः, निम्नलिखित आधारों पर यह याचिका दायर की गई है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"10.1 माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उत्तरवादीगण को निर्देश दें कि वे याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रतीक्षा सूची से खेल अधिकारी के पद के लिए नियुक्ति आदेश जारी करें, जिसमें सभी परिणामी लाभ शामिल हों। 10.2 यह कि,माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि वह याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अन्य रिट/रिट, आदेश/आदेश, अनुतोष प्रदान करे, जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत समझे, जिसमें याचिकाकर्ताओं को लागत प्रदान करना भी शामिल है।"

2. याचिका में उल्लिखित प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरवादी , छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (जिसे आगे "सीजीपीएससी" कहा गया है), ने खेल अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 06.03.2019 को एक विज्ञापन जारी किया।विभिन्न श्रेणियों के बीच कुल पदों की संख्या वितरित की गई, 17 पद अनारक्षित श्रेणी हेतु, 15 पद अनुसूचित जाति हेतु, 24 पद अनुसूचित जनजाति हेतु तथा 5 पद अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) हेतु आरक्षित थे।कुल पदों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिनमें से 17 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए, 15 पद अनुसूचित जाति के लिए, 24 पद अनुसूचित जनजाति के लिए और 5 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित थे।निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता शारीरिक शिक्षा या खेल विज्ञान में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और नेट/सेट/पीएचडी. उत्तीर्ण होना था। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन के महत्वपूर्ण सुझावों के खंड (2) में स्पष्ट किया गया था कि स्नातक स्तर पर कम से कम 50% अंक "अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड" के लिए आवश्यक हैं।विज्ञापन के अनुसार सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं रखने वाले याचिकाकर्ता ने ओबीसी श्रेणी के तहत आवेदन किया और लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए।याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और सीजीपीएससी द्वारा आयोजित दस्तावेज़ सत्यापन चरण में भी पात्र पाया गया। साक्षात्कार आयोजित करने के बाद, सीजीपीएससी ने 18.09.2020 को अंतिम चयन सूची

प्रकाशित की।इस सूची में ,याचिकाकर्ता का नाम समग्र प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 4 पर और ओबीसी श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 1 पर था।इससे यह पुष्टि हुई कि किसी भी रिक्ति की स्थिति में ओबीसी प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले पहले पात्र उम्मीदवार याचिकाकर्ता ही थे।इसके बाद, उच्च शिक्षा विभाग ने दिनांक 23.10.2021, 08.11.2021 और 04.01.2022 के आदेशों के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को खेल अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र जारी किए।हालांकि, ओबीसी श्रेणी के तहत चयनित अमित वर्मा, जिनका नाम दिनांक 18.09.2020 की मुख्य चयन सूची में क्रमांक 17 पर था, का नाम नियुक्ति पत्रों में शामिल नहीं किया गया।याचिकाकर्ता को बाद में पता चला कि चयनित ओबीसी उम्मीदवार अमित वर्मा का दुर्भाग्यवश 27.12.2021 को निधन हो गया था और उन्होंने सेवा में शामिल नहीं हुए थे।इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने 06.01.2022, 04.03.2022 और 18.05.2022 को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और आयुक्त को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिसमें अनुरोध किया गया कि प्रतीक्षा सूची से मृतक उम्मीदवार के स्थान पर नियुक्ति के लिए उनके मामले पर विचार किया जाए।अधिकारियों से बातचीत के दौरान, याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से सूचित किया गया कि अमित वर्मा के आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनके अनुरोध पर विचार किया जाएगा।तदनुसार, याचिकाकर्ता ने मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बार–बार प्रयास किए।जनवरी 2022 से याचिकाकर्ता ने उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव के कार्यालय में नियमित रूप से जाते थे।उन्हें सूचित किया गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने अमित वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन उत्तरवादीगण ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की।15.09.2022 को याचिकाकर्ता ने अवर सचिव को सूचित किया कि अमित वर्मा के परिवार ने मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति देने से इनकार कर दिया है, और यहां तक कि अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने भी इसे देने से मना कर दिया है।हालांकि, स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) ने बताया कि संबंधित सरकारी विभाग द्वारा औपचारिक अनुरोध किए जाने पर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।अतः याचिकाकर्ता ने अवर सचिव से बीएमओ को एक आधिकारिक पत्र भेजने का अनुरोध किया। 5 दिसंबर 2022 को उच्च शिक्षा विभाग को अमित वर्मा का आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद, 19 दिसंबर 2022 को उच्च शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक ने विभाग के सचिव को पत्र लिखकर मृतक उम्मीदवार के स्थान पर खेल अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर विचार करने की अनुशंसा की।23 जनवरी 2023 को उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया।यह ध्यान दिया गया कि मूल वैधता 17 मार्च 2022 तक थी, जिसे पहले 17 सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया था।असाधारण परिस्थितियों और मृत्यु प्रमाण पत्र तथा सत्यापन प्रक्रियाओं को संसाधित करने में हुई देरी को देखते हुए, छह महीने का और विस्तार मांगा गया था।अनुरोध के बावजूद, 17.02.2023 को, सीजीपीएससी के अवर सचिव ने प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ाने से इनकार कर दिया। इससे याचिकाकर्ता के प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति का अवसर प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची 18.09.2020 को जारी की गई थी, जिससे प्रतीक्षा सूची 17.03.2022 तक वैध हो गई।सीजीपीएससी ने इसे पहले ही एक बार 17.09.2022 तक बढ़ा दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा वैध अवधि (06.01.2022, 04.03.2022 और 18.05.2022) के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद, अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।उत्तरवादीगण की निष्क्रियता के कारण प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई, जिससे याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी अप्रभावी हो गई, जबकि इसमें याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं थी।अतः यह याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने खेल अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 06.03.2019 को एक विज्ञापन जारी किया था। उक्त विज्ञापन में अनारक्षित वर्ग के लिए 17 पद, अनुसूचित जाति के लिए 15 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 5 पद आरक्षित किए गए थे। निर्धारित न्यूनतम योग्यता शारीरिक शिक्षा या खेल विज्ञान में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और साथ ही नेट/सेट/पीएच.डी. योग्यता थी।विज्ञापन के अनुसार पूर्णतः योग्य याचिकाकर्ता ने ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया, चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुआ, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और साक्षात्कार के लिए चयनित हुआ।यह प्रस्तुत किया जाता है कि साक्षात्कार के बाद, सीजीपीएससी ने 18.09.2020 को अंतिम चयन सूची प्रकाशित की, जिसमें याचिकाकर्ता को समग्र प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 04 और ओबीसी श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 01 पर रखा गया था।इससे यह स्पष्ट हो गया कि चयनित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण न करने या अयोग्य घोषित होने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति की स्थिति में याचिकाकर्ता ओबीसी प्रतीक्षा सूची में पहले पात्र उम्मीदवार के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य थे। एक उम्मीदवार, अमित वर्मा, जिनका चयन ओबीसी श्रेणी के तहत हुआ था और जिन्हें मुख्य सूची में क्रमांक 17 पर रखा गया था, को दिनांक 23.10.2021, 08.11.2021 और 04.01.2022 के आदेशों में नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया था।बाद में, याचिकाकर्ता को यह जानकारी मिली कि अमित वर्मा का 27.12.2021 को सेवा में शामिल होने से पहले ही निधन हो गया था। याचिकाकर्ता ने 06.01.2022, 04.03.2022 और 18.05.2022 को सचिव और आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को तुरंत अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिसमें अनुरोध किया गया कि परिणामी रिक्ति के विरुद्ध उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाए।याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से सूचित किया गया था कि अमित वर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उसके मामले पर विचार किया जाएगा। कई बार जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा, अमित वर्मा के परिवार ने मृत्यु प्रमाण पत्र साझा करने से इनकार कर दिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने भी मना कर दिया।लगातार प्रयासों और याचिकाकर्ता के औपचारिक अनुरोध के बाद ही उच्च शिक्षा विभाग को 05.12.2022 को आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।इसके बाद, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने 19.12.2022 को सचिव को पत्र भेजकर मृतक उम्मीदवार के स्थान पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर विचार करने की अनुशंसा की।इसके अतिरिक्त, 23.01.2023 को उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने प्रक्रियात्मक विलंब और विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए सीजीपीएससी से प्रतीक्षा सूची की वैधता को छह महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया।हालांकि, सीजीपीएससी ने 17.02.2023 के पत्र द्वारा पहले से ही 17.09.2022 तक बढ़ाई गई प्रतीक्षा सूची की वैधता के अलावा कोई और विस्तार देने से इनकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर दिया।चयन सूची मूल रूप से 18.09.2020 को जारी की गई थी, जिसकी डेढ़ वर्ष की वैधता 17.03.2022 को समाप्त हो रही थी, और बाद में इसे 17.09.2022 तक बढ़ा दिया गया था।याचिकाकर्ता द्वारा वैधता अवधि के दौरान बार–बार निवेदन करने और तथ्यात्मक जानकारी देने के बावजूद, प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण उनकी नियुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।याचिकाकर्ता द्वारा समय पर निवेदन करने के बावजूद नियुक्ति अनुरोध पर कार्यवाही में हुये विलंब पूरी तरह से उत्तरवादी अधिकारियों की गलती है। याचिकाकर्ता को राज्य की निष्क्रियता या नौकरशाही देरी के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, विशेषकर तब जब उन्होंने प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के दौरान सभी आवश्यक शर्तों का पालन किया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि अत्यंत चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तरवादी ने प्रतीक्षा सूची की वैधता समाप्त होने के बाद 21.06.2024 को मृतक उम्मीदवार अमित वर्मा के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किया, यह तथ्य याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त किया।राज्य द्वारा की गई यह कार्यवाही दर्शाती है कि खेल अधिकारियों की नियुक्ति में इरादे की कमी नहीं, बल्कि उचित सावधानी की कमी के कारण याचिकाकर्ता को उसके उचित अवसर से वंचित किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम स्वरूप सरोज मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया है, जो (2000) 3 एससीसी 699 में प्रकाशित हुआ है। इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी दावे के लंबित रहने के दौरान पैनल की अवधि समाप्त हो जाने से उस उम्मीदवार का अधिकार समाप्त नहीं होगा जिसने पैनल के सक्रिय रहने के दौरान अपना दावा प्रस्तुत किया था।इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने डब्लू.ए. संख्या 490/2015 में दिनांक 14.07.2016 के आदेश द्वारा, चयनित उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण न करने पर प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश दिया था।इसी प्रकार, डब्लू.ए. संख्या 92/2013 (ईश्वर शरण गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिकारियों की ओर से हुई गलतफहमी या देरी को योग्य उम्मीदवार को दंडित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति से संबंधित एक समान मामले में, इस न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए निर्देश दिया था कि एक पद को अगले आदेश तक रिक्त रखा जाए (डब्लूपीएस संख्या 698/2020, दिनांक 30.01.2020 का आदेश)। उपरोक्त के आलोक में, यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के भीतर ही अपना दावा प्रस्तुत किया था, सभी औपचारिकताएं पूरी की थीं और अमित वर्मा के निधन से उत्पन्न रिक्ति को अधिकारियों के संज्ञान में लाया था।फिर भी, उत्तरवादी समय पर कार्यवाही करने में विफल रहे।नियुक्ति सूची की समय सीमा समाप्त होने के बाद मृतक उम्मीदवार के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करना न केवल अवैध है, बल्कि प्रशासनिक मनमानी का स्पष्ट संकेत भी है।अतः, याचिकाकर्ता उक्त रिक्ति के विरुद्ध खेल अधिकारी के पद पर नियुक्ति का हकदार है, और प्रतिवादियों की निष्क्रियता के कारण प्रतीक्षा सूची की समय सीमा समाप्त होने के मात्र आधार पर नियुक्ति न करना विधिक रूप से अस्वीकार्य है।अतः, निवेदन है कि न्यायालय याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तरवादी को अमित वर्मा के स्थान पर ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत खेल अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दे, साथ ही सभी परिणामी लाभ भी प्रदान करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का विरोध करते हुए यह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर संपूर्ण रिट याचिका एक ही दावे पर आधारित है, कि याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'सीजीपीएससी' कहा गया है) द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची से खेल अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी जाए।यह निवेदन किया जाता है कि यह प्रार्थना विधिक रूप से निराधार है, विशेषकर इस तथ्य के आलोक में कि प्रतीक्षा सूची की अवधि समाप्त हो चुकी है और सीजीपीएससी द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता सीजीपीएससी के माध्यम से भर्ती को नियंत्रित करने वाले स्थापित कानूनी और प्रक्रियात्मक मानदंडों के विपरीत अनुतोष की मांग कर रहा है। यह निवेदन किया जाता है कि उच्च शिक्षा विभाग ने पुस्तकालयाध्यक्ष और खेल अधिकारी के पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने हेतु सीजीपीएससी से अनुरोध किया था।इस अनुरोध पर तुरंत कार्यवाही करते हुए, सीजीपीएससी ने दिनांक 06.03.2019 (अनुलग्नक पी/1) को आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ता, ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल हुए। 18.09.2020 को प्रकाशित प्रतीक्षा सूची में उनका क्रम संख्या 04 था।सीजीपीएससी द्वारा अंतिम योग्यता सूची (मुख्य और प्रतीक्षा सूची दोनों) उच्च शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई गई, और तदनुसार, राज्य ने केवल उन्हीं उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए जिनके नाम चयन सूची में थे।सभी नियुक्ति आदेश सीजीपीएससी द्वारा भेजी गई चयन सूची के अनुसार ही जारी किए गए थे। प्रतिवादियों को योग्यता सूची में बदलाव या संशोधन करने या सीजीपीएससी द्वारा निर्धारित चयन सूची और प्रतीक्षा सूची की वैधता से परे किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त करने का कोई अधिकार या विवेकाधिकार नहीं था। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा सूची की वैधता से परे नियुक्ति के लिए किया गया कोई भी दावा प्रशासनिक या कानूनी रूप से अनुमेय नहीं है। याचिकाकर्ता ने कई आवेदनों के माध्यम से प्रतिवादियों से संपर्क किया था, जिसमें उसने दावा किया था कि चयनित उम्मीदवार श्री अमित वर्मा का कार्यभार ग्रहण करने से पहले निधन हो गया था, और चूंकि याचिकाकर्ता ओबीसी प्रतीक्षा सूची में पहले उम्मीदवार थे, इसलिए उन्हें उनके स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता के अनुरोध को सद्भावनापूर्वक और बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करते हुए, उच्च शिक्षा विभाग ने मामले पर विधिवत विचार किया और दिनांक 23.01.2023 के पत्र के माध्यम से सीजीपीएससी से प्रतीक्षा सूची की वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया।हालांकि, सीजीपीएससी ने उचित विचार–विमर्श के बाद, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को पहले से बढ़ाए जाने के बाद आगे बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसा विस्तार आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और नीतियों का उल्लंघन करेगा।इसलिए, 17.09.2022 को प्रतीक्षा सूची की वैधता समाप्त हो जाने के बाद, और सक्षम भर्ती निकाय द्वारा कोई और विस्तार न दिए जाने के कारण, उस सूची से कोई और नियुक्ति नहीं की जा सकती थी।

6. यह आगे निवेदन किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम सुरेश प्रसाद और अन्य (2004) 2 एससीसी 681 में दिए गए स्थापित कानून के अनुसार, यदि कोई चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो विपरीत किसी वैधानिक नियम के अभाव में, नियोक्ता प्रतीक्षा सूची से परिणामी रिक्ति को भरने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।उचित विचार–विमर्श के बाद, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को पहले से बढ़ाए जाने के बाद आगे बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि ऐसा विस्तार आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और नीतियों का उल्लंघन करेगा। इसलिए, 17.09.2022 को प्रतीक्षा सूची की वैधता समाप्त हो जाने के बाद, और सक्षम भर्ती निकाय द्वारा कोई और विस्तार न दिए जाने के कारण, उस सूची से कोई और नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। 6. यह आगे निवेदन किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम सुरेश प्रसाद और अन्य (2004) 2 एससीसी 681** में दिए गए स्थापित कानून के अनुसार, यदि कोई चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो विपरीत किसी वैधानिक नियम के अभाव में, नियोक्ता प्रतीक्षा सूची से परिणामी रिक्ति को भरने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।न्यायालय ने आगे कहा कि जब तक प्रतीक्षा सूची के उपयोग को अनिवार्य करने वाला कोई बाध्यकारी प्रावधान या वैधानिक नियम न हो, तब तक किसी भी उम्मीदवार को केवल प्रतीक्षा सूची में अपनी स्थिति के आधार पर नियुक्ति का कोई वैध अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता का दावा पूरी तरह से निराधार है।यह निवेदन किया जाता है कि प्रतीक्षा सूची की मूल वैधता अवधि 18.09.2020 से एक वर्ष छह महीने थी, जो 17.03.2022 को समाप्त होनी थी।इसे आगे 17.09.2022 तक बढ़ा दिया गया था।सूची की वैधता समाप्त होने के समय भी याचिकाकर्ता का नियुक्ति अनुरोध विचाराधीन था, और इस विस्तारित अवधि के दौरान कोई औपचारिक निर्णय या नियुक्ति नहीं की जा सकी थी।इसलिए, प्रतीक्षा–सूची की समाप्ति के कारण, याचिकाकर्ता का दावा विधि के तहत निष्फल तथा अप्रवर्तनीय हो गया है।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया के दौरान उचित सतर्कता और सद्भावना से कार्य किया।उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया, श्री अमित वर्मा की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों के सत्यापन के प्रयास किए और यहां तक कि सीजीपीएससी से प्रतीक्षा सूची बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू की। एकमात्र सक्षम प्राधिकारी होने के नाते सीजीपीएससी द्वारा प्रतीक्षा सूची बढ़ाने से इनकार करने पर राज्य के पास याचिकाकर्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए इस आरोप के संबंध में कि श्री अमित वर्मा (मृतक) के पक्ष में 21.06.2024 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया था, यह निवेदन किया जाता है कि यदि कोई प्रशासनिक चूक हुई है, तो उसकी जांच की जा रही है।हालांकि, यह कथित कृत्य याचिकाकर्ता को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है, विशेष रूप से तब जब प्रतीक्षा सूची अब वैध नहीं थी और सीजीपीएससी ने स्पष्ट रूप से प्रतीक्षा सूची बढ़ाने से इनकार कर दिया था।उपरोक्त तर्क के आलोक में, यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता का समाप्त हो चुकी प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति का दावा निराधार और स्थापित कानूनी स्थिति के विपरीत है।सीजीपीएससी के निर्देश या अनुमोदन के अभाव में, याचिकाकर्ता को समाप्त हो चुकी प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति मांगने का कोई वैध अधिकार नहीं है। अतः, यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि इसमें उत्तरवादी के विरुद्ध कोई कार्रवाई का कारण नहीं बताया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन किया और कहा कि यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता एक समाप्त हो चुकी प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति के लिए निर्देश मांग रहा है, जो कानूनन अस्वीकार्य है और स्थापित भर्ती प्रक्रिया के विपरीत है। याचिकाकर्ता की प्रार्थना, जो केवल प्रतीक्षा सूची में उसके नाम और एक चयनित उम्मीदवार की मृत्यु पर आधारित है, किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं देती है, विशेष रूप से सूची की वैधता अवधि समाप्त

होने के बाद।यह निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3, सीजीपीएससी ने छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर खेल अधिकारी के 61 पदों को भरने के लिए विज्ञापन संख्या 05/2019 दिनांक 02.03.2019 प्रकाशित किया था।चयन प्रक्रिया विधिवत आयोजित की गई थी और अंतिम चयन सूची पत्र संख्या 697/07/चयन/2020 दिनांक 18.09.2020 के माध्यम से जारी की गई थी।उक्त सूची में याचिकाकर्ता को ओबीसी प्रतीक्षा सूची में रखा गया था, क्योंकि वह उस श्रेणी में एकमात्र उम्मीदवार था।हालांकि, केवल प्रतीक्षा सूची में शामिल करने से नियुक्ति का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं मिलता है।याचिकाकर्ता की शिकायत इस तथ्य पर केंद्रित है कि चयनित उम्मीदवारों में से एक, श्री अमित वर्मा, जिनका चयन सूची में ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत क्रमांक 17 था, का 27.12.2021 को कार्यभार ग्रहण करने से पहले निधन हो गया था।याचिकाकर्ता अगले पंक्ति में होने के कारण इस रिक्ति पर नियुक्ति का हकदार होने का दावा करता है।हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि ऐसा दावा मान्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता का नाम कभी भी चयन सूची में नहीं था, और प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के बाद किसी भी नियुक्ति के लिए स्पष्ट अनुमति आवश्यक होती है, जो प्रदान नहीं की गई थी।आगे यह निवेदन किया जाता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने नियुक्ति पर विचार करने का अनुरोध करते हुए दिनांक 11.06.2022 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 (उच्च शिक्षा विभाग) ने दिनांक 23.01.2023 के ज्ञापन के माध्यम से उत्तरदाता प्रतिवादी को प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध करते हुए मामले को संदर्भित किया।हालाँकि, आयोग ने मूल समाप्ति तिथि 17.03.2022 के बाद सूची की वैधता को एक बार 17.09.2022 तक बढ़ा दिया था।कोई भी और विस्तार अस्वीकार्य था, और इसलिए उत्तरदाता ने दिनांक 29.03.2022, 12.05.2022 और पुनः 23.01.2023 के पत्रों के माध्यम से इस अनुरोध से अपनी स्पष्ट और बार-बार असहमति व्यक्त की।यह निवेदन किया जाता है कि चयन और प्रतीक्षा सूची की वैधता समाप्त होने के बाद, सीजीपीएससी विधिवत और प्रक्रियात्मक रूप से ऐसी सूची से किसी भी आगे की नियुक्ति पर विचार करने से वर्जित हो गया था।संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होती है, जो वैधता अवधि को सीमित करते हैं और केवल एक बार ही विस्तार की अनुमति देते हैं। यदि उस अवधि के भीतर कार्रवाई न करने का कोई दोष है, तो वह आयोग का नहीं है, जिसने अंतिम सूची अग्रेषित करने के बाद अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था, बल्कि विभाग की निष्क्रियता का है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने 07.02.2023 के अंतिम पत्र को चुनौती दिए बिना इस न्यायालय का रुख किया है, जिसमें आयोग ने प्रतीक्षा सूची के विस्तार से इनकार कर दिया था।इस चूक या सूची की वैधता समाप्त होने को चुनौती देने में हुये विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए रिट याचिका विलंब से ग्रस्त है और प्रारंभिक चरण में ही खारिज किए जाने योग्य है।आयोग दोहराता है कि भर्ती प्रक्रिया में उसकी भूमिका केवल परीक्षा आयोजित करने और अनुरोध के अनुसार चयनित और प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध कराने तक सीमित है।चयन सूची भेजे जाने और उसकी वैधता अवधि समाप्त होने के बाद, सीजीपीएससी की नियुक्तियों के मामले में कोई और भूमिका या विवेकाधिकार नहीं रह जाता है। वर्तमान प्रकरण में, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का दावा किसी भी कानूनी या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं है।अंततः, यह निवेदन किया जाता है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता किसी भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार को सिद्ध करने में विफल रहा है, और मांगी गई राहतें प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियों के संबंध में स्थापित कानून के विपरीत हैं।इसलिए, रिट याचिका योग्यता से रहित है तथा खारिज करने योग्य है।उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया, जो कि राखी राय और अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य के मामले में दिए गए थे, (2010) 2 एससीसी 637 में प्रकाशित **और ओडिशा राज्य और अन्य बनाम राजकिशोर नंदा और अन्य के मामले में दिए गए थे, जो कि (2010) 6 एससीसी 777** में प्रकाशित हुआ था।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज को भी अत्यंत सावधानी के साथ पढ़ा है।

9. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर कर उत्तरवादी को निर्देश देने की मांग की है कि वे सीजीपीएससी द्वारा विज्ञापन संख्या 05/2019 दिनांक 02.03.2019 के अनुसार तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत खेल अधिकारी के पद पर उनके पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करें। यह निर्विवाद है कि चयन सूची और प्रतीक्षा सूची प्रारंभ में 18.09.2020 से 18 महीने की अवधि के लिए, अर्थात् 17.03.2022 तक वैध थीं, और बाद में सीजीपीएससी द्वारा इन्हें 17.09.2022 तक बढ़ा दिया गया था।यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने विस्तारित वैधता अवधि के भीतर ही सक्षम अधिकारियों के समक्ष 06.01.2022, 04.03.2022 और 18.05.2022 को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिनमें विशेष रूप से अमित वर्मा की मृत्यु के कारण उत्पन्न रिक्ति की ओर इशारा करते हुए प्रतीक्षा सूची से अगले पात्र उम्मीदवार के रूप में उस पद पर नियुक्ति की मांग की गई थी।अभिलेख से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता के दावे को उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने स्वीकार कर लिया था और उन्होंने दिनांक 19.12.2022 के पत्र के माध्यम से विभाग के सचिव को मृतक उम्मीदवार के स्थान पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति की सिफारिश की थी।इसके बाद, विभाग ने दिनांक 23.01.2023 के पत्र द्वारा सीजीपीएससी से प्रतीक्षा सूची की वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया।हालांकि, सीजीपीएससी ने प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों का उल्लेख देते हुए 17.09.2022 के बाद कोई और विस्तार देने से इनकार कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. तथ्यों के आधार पर, निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से सिद्ध होती हैं कि याचिकाकर्ता विधिवत योग्य उम्मीदवार था और ओबीसी प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर था।अमित वर्मा, जिनका चयन ओबीसी श्रेणी में हुआ था, कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही उनका निधन हो गया था।याचिकाकर्ता ने प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के भीतर समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए और नियुक्ति जारी करने में यदि कोई देरी हुई है, तो वह पूरी तरह से प्रशासनिक निष्क्रियता, विशेष रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने और सत्यापन प्रक्रियाओं को पूरा करने में हुये विलंब के कारण हुई है।

11. इस मामले में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि प्रतीक्षा सूची की अवधि समाप्त होने के काफी बाद, 21.06.2024 को मृतक उम्मीदवार अमित वर्मा के नाम पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया, जिसकी पुष्टि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों से हुई है। न्यायालय इस कार्रवाई को घोर अनियमितता और प्रक्रियात्मक औचित्य की घोर अवहेलना मानता है।

12. प्रतीक्षा सूची के लंबित होने के संबंध में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जम्मू–कश्मीर राज्य और अन्य बनाम सत पाल मामले (2013)11 एससीसी 737 में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उचित है,** जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः"11.उपरोक्त वर्णित तथ्यों को देखते हुए, अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी सत पाल की प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की मांग को अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट रूप से अनुचित है।प्रतीक्षा सूची तभी लागू होती है जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है।प्रतीक्षा सूची तब लागू होती है जब योग्यता सूची में शीर्ष पर आने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाते हैं।प्रतीक्षा सूची होने से नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीक्षा सूची के बने रहने के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने का अवसर मिलता है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त पदों के भर जाने पर प्रतीक्षा सूची लागू होती है। इस विवाद में प्रतीक्षा सूची लागू करने की उपरोक्त स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि जूनियर इंजीनियर (सिविल), ग्रेड II के जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी, उनमें से एक पद वास्तव में भरा ही नहीं गया था।त्रिलोक नाथ द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण, भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाला एक पद रिक्त रह गया था।इसके अलावा, यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले सभी पद विधिवत भर दिए गए थे, तो इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि त्रिलोक नाथ, जिन्होंने प्रतिवादी के समान ही चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, को 22–4–2008 को जूनियर इंजीनियर (सिविल), ग्रेड □□ के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था।यह प्रस्ताव उन्हें उक्त भर्ती प्रक्रिया में उनके चयन के परिणामस्वरूप दिया गया था।इस मामले के तथ्यों के आधार पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता का निर्धारण 22–4–2008 के संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि यह रिक्ति त्रिलोक नाथ को 22–4–2008 को ही दी गई थी।यह वही रिक्ति है जिसके लिए प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उपरोक्त के विपरीत, अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 23–8–2011 के विवादित आदेश (ऊपर उद्धृत) में यह स्वीकार किया गया है कि प्रतीक्षा सूची मई 2008 तक वैध थी। यदि त्रिलोक नाथ को उसी प्रतीक्षा सूची से उक्त रिक्ति के लिए नियुक्ति हेतु पात्र पाया गया था, तो उत्तरवादी भी उक्त रिक्ति के लिए समान रूप से पात्र होंगे।वर्तमान विवाद के संबंध में यह निर्विवाद विधिक स्थिति होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. संबंधित पक्षों द्वारा अभ्यावेदन दाखिल करने की तिथि और/या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित रिक्ति को भरने का निर्णय लेने की तिथि का कोई महत्व नहीं है।केवल सुसंगत तिथि रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों की उपलब्धता के बावजूद रिक्ति को न भरने का निर्णय लेता है, तो यह एक अलग विधिक प्रकरण होगा।त्रिलोक नाथ को 22–4–2008 को दिया गया प्रस्ताव स्वतः ही इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि विचाराधीन रिक्ति एक वर्ष की अवधि के भीतर उत्पन्न हुई, अर्थात् नियमों द्वारा निर्धारित प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के दौरान।त्रिलोक नाथ को रिक्ति का प्रस्ताव देना उपरोक्त कथन का खंडन करता है, अर्थात् नियोक्ता की रिक्ति को न भरने की इच्छा का। यहाँ, अपीलकर्ताओं ने संदर्भित रिक्ति को भरना चाहा था। इसके अलावा, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ उत्तरवादी उन पदों के अतिरिक्त रिक्ति पर नियुक्ति की मांग कर रहा हो जिनके लिए चयन/भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी।उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर, हमें यह निष्कर्ष

निकालने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलकर्ताओं को त्रिलोक नाथ को प्रस्तावित रिक्ति के विरुद्ध प्रतिवादी सत पाल को नियुक्त करना चाहिए था।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य बनाम अभिषेक शुक्ला और अन्य के मामले में, (2009) 5 एससीसी 368 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है : "17. अतः, हमें आक्षेपित निर्णयों में कोई त्रुटि नहीं पाते है।हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि सामान्यतः ऐसे पैनल का कार्यकाल एक वर्ष होता है, जैसा कि इस न्यायालय ने गिरधर कुमार दाधीच बनाम राजस्थान राज्य [(2009) 2 एससीसी 706 :(2009) 1 एससीसी (एल एंड एस) 543 :(2009) 2 स्केल 98] में देखा है।हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा चयन सूची को अगस्त 2003 में ही अनुमोदित किया गया था और उत्तरवादी ने इसके एक वर्ष के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे, इसलिए हमारी राय में उक्त शर्त इस मामले में भी पूरी हो जाती है।इसके अलावा, ऐसा प्रश्न विचारण न्यायालय के समक्ष कभी नहीं उठाया गया था। यदि ऐसा प्रश्न उठाया गया होता, तो उत्तरवादी इस पर विचार कर सकते थे।(देखे : अमलान ज्योति बरूआ बनाम असम राज्य [(2009) 3 एस. सी. सी. 227:(2009) 1 एससीसी (एल एंड एस) 627:(2009) 2 स्केल 56]।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. राम स्वरूप सरोज (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि किसी दावे के लंबित रहने के दौरान पैनल की वैधता समाप्त हो जाने से उस उम्मीदवार का अधिकार समाप्त नहीं होता जिसने पैनल की वैधता अवधि के दौरान अपना दावा प्रस्तुत किया था।सुसंगत संदर्भ के लिए सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत किया गया है:

"10. इसी प्रकार, यह तर्क कि राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची केवल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहती है, मूलतः तथ्यों पर निर्भर प्रश्न है और फिर भी यह दलील उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई थी।दूसरा, हम पाते हैं कि चयन सूची नवंबर 1996 में अंतिम रूप दी गई थी और उत्तरवादी द्वारा रिट याचिका अक्टूबर 1997 में, यानी सूची की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति से पहले दायर की गई थी।केवल इसलिए कि वाद के लंबित अवधि के दौरान एक वर्ष की अवधि बीत गई है, हम उस अनुतोष को देने से इनकार नहीं कर सकते है जिसके लिए उच्च न्यायालय ने उत्तरवादी को हकदार पाया है।हम यह उल्लेख करना चाहते है कि इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी की सुनवाई के दौरान, 29–9–1999 को हमने उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता को न्यायिक अधिकारियों की वर्तमान भर्ती स्थिति और अधीनस्थ न्यायपालिका में वर्तमान रिक्त पदों की स्थिति को शपथ पत्र के माध्यम से अभिलेख पर लाने का निर्देश दिया था।उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियुक्ति विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा 4–11–1999 को शपथपूर्वक दिए गए और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया है कि 14–10–1999 तक मुंसिफ मजिस्ट्रेट (अब सिविल जज, जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट) के कैडर में 231 रिक्तियां थीं। यह वास्तविक स्थिति होने के कारण, हमें उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द करने का कोई कारण नहीं दिखता है।"

15. उत्तम कुमार बरेठ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। रिट याचिका संख्या 490/2015 में दिनांक 14.07.2016 के आदेश के अनुसार, चयनित उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण न करने पर प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था।संबंधित कंडिका नीचे उद्धृत हैं:---

"9. यह तर्क दिया गया है कि यह रिट याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता नियुक्ति पत्र जारी होने के एक वर्ष के भीतर उपस्थित नहीं हुआ है।हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं।वाद कारण एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही उत्पन्न होता है।राज्य ने पदों को न भरने का कोई अन्य कारण नहीं बताया है। अतः,हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि रिट याचिका विलंब और लापरवाही के सिद्धांतों के दायरे से बाहर है। 10. उपरोक्त चर्चा के तहत, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और दिनांक 23.09.2015 के आदेश को रद्द करते हैं तथा राज्य को निर्देश देते हैं कि वह याचिकाकर्ता को आज से दो महीने के भीतर चपरासी के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करे।हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से ही वरिष्ठता और वेतन का हकदार होगा।"

16. ईश्वर शरण गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में, डब्लू.ए. संख्या 92/2013 में दिनांक 23.04.2013 के आदेश द्वारा पारित निर्णय में, इस न्यायालय ने यह माना है कि प्रशासनिक विलंब या गलतफहमी किसी वैध दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। सुसंगत कंडिका संदर्भ के लिए उद्धृत किया गया है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"39. हमारी राय में, यदि राज्य सरकार को यह गलतफहमी थी कि वह किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं कर सकती है जब तक कि पीएससी द्वारा सूची की वैधता नहीं बढ़ा दी जाती और इस कारण से उसे नियुक्त नहीं करती है, तो उसका दंड अपीलकर्ता पर नहीं लगाया जा सकता है: उसे इस आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।"

40. अपीलकर्ता की नियुक्ति को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।पहले तो, पीएससी ने नाम भेजने में अनावश्यक रूप से देरी की और फिर राज्य सरकार ने गलत तरीके से यह मान लिया कि पीएससी द्वारा सूची की वैधता बढ़ाए बिना वह सूची वैध नहीं है। हमारी राय में, यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें राज्य को निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि यदि अपीलकर्ता अन्यथा योग्य हैं और कोई अन्य आपत्ति नहीं है, तो उन्हें नियुक्त किया जाए।"

17. यह सर्वविदित कानून है कि चयन सूची की समय सीमा समाप्त हो जाने मात्र से उम्मीदवार अपने नियुक्ति के अधिकार से वंचित नहीं हो जाता, यदि उसने वैधता अवधि के भीतर अपना दावा प्रस्तुत किया हो और वास्तविक नियुक्ति में देरी उसकी गलती के कारण न हुई हो।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने वैधता अवधि के भीतर सभी आवश्यक कदम उठाए।उन्होंने अमित वर्मा की मृत्यु के कारण उत्पन्न रिक्ति के बारे में अधिकारियों को सूचित किया।उन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए।मृतक उम्मीदवार के परिवार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने से इनकार करने पर उन्होंने अधिकारियों

से संपर्क भी किया, और अंततः विभाग ने 5.12.2022 को इसे प्राप्त कराया गया। याचिकाकर्ता द्वारा समय पर दावा प्रस्तुत करने के बावजूद, नियुक्ति से इनकार करना प्रशासनिक मनमानी का स्पष्ट मामला है।उत्तरवादीगण को अपनी निष्क्रियता या प्रक्रियात्मक देरी का लाभ उठाकर याचिकाकर्ता को नियुक्ति की उसकी वैध अपेक्षा से वंचित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित करना प्रशासनिक मनमानी को बढ़ावा देने और बिना किसी गलती के उम्मीदवार को दंडित करने के समान होगा।उत्तरवादीगण द्वारा एक मृत व्यक्ति को नियुक्ति जारी करना और पैनल की कार्य अवधि के दौरान एक वैध दावे पर कार्रवाई करने में विफल रहना न्यायिक सुधार का पात्र है।

18. न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने दावे पर जोर देने में सतर्क, मेहनती तथा सुसंगत था।दूसरी ओर, समय पर कार्यवाही करने में विफलता पूरी तरह से उत्तरवादी अधिकारियों पर निर्भर करती है।प्रतीक्षा सूची की अवधि समाप्त होने के बाद मृतक उम्मीदवार के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करना प्रशासनिक खामियों को और भी उजागर करता है और याचिकाकर्ता के मामले को और भी मजबूत बनाता है। उपरोक्त चर्चा के तहत, न्यायालय का दृढ़ मत है कि याचिकाकर्ता का दावा प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के भीतर उठाया गया था, रिक्ति प्रतीक्षा सूची के बने रहने के दौरान उत्पन्न हुई थी और नियुक्ति में देरी पूरी तरह से अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण हुई थी, न कि याचिकाकर्ता की।यदि याचिकाकर्ता ने समय पर अधिकारियों से संपर्क किया था, तो प्रतीक्षा सूची की अवधि समाप्त होने के कारण नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के उसके अधिकार को नकारा नहीं जा सकता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. तदनुसार, रिट याचिका को स्वीकृति दी जाती है।

20. उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से आठ (08) सप्ताह के भीतर, स्वर्गीय अमित वर्मा के स्थान पर, ओबीसी श्रेणी के तहत खेल अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करें।

सही/-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur